संख्या-25/2021/1316/96-आयुष-1-2021-620/2013

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषय-राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के परिसर में नवनिर्मित 200 छात्राओं के छात्रावास के निर्माण हेतु पंचम/अंतिम किश्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3439/यू0नि0/328-यो0/2020-21; दिनांक 15.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के परिसर में नवनिर्मित 200 छात्राओं के छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1094/71-आयुष-1-2016-620/2013, दिनांक 22.03.2016 द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-1036.78 लाख (रूपया दस करोड छत्तीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-107.24 लाख (रूपया एक करोड सात लाख चौबीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-4/2017/604/71-आयुष-1-2017-620/2013, दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-100.00 लाख, शासनादेश संख्या-7/2017/4123/96-आयुष-1-2017-620/2013, दिनांक 27.12.2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-100.00 एवं शासनादेश संख्या-15/2018/2125/96-आयुष-1-2018-620/2013, दिनांक 04.06.2018 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0-677.54 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-984.78 लाख अवमुक्त की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-1036.78 लाख के सापेक्ष पंचम/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0-52.00 लाख (रूपये बावन लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) निदेशक, यूनानी सेवायें एवं प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

(2) निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, यूनानी सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डाक घर खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(9) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अनापत्तियों/प्रमाण पत्रों का पुनः स्वस्तर से परीक्षण कर सन्तुष्ट हो लेंगे।

(11) उक्त निर्गत की जाने वाली अंतिम किश्त की धनराशि को कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने से पूर्व निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त भवन में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्य अथवा कोई कार्य अवशेष नहीं हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **01**-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, **800**-अन्य व्यय, **06**-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल 00 के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-25/2021/159(1)/96-आयुष-1-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in